मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 25 अगस्त, 1995 (भाद्र 3, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री बाबूलाल गौर, विक्रम वर्मा, दिलीप भटेरे, सदस्य, धार जिले के मांडव स्थित प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध होटल का निर्माण किये जाने की ओर संस्कृति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री घनश्याम पाटीदार, सदस्य, मंदसौर जिले के अनेक ग्रामों में राजस्थान की भेड़ों द्वारा फसलों को क्षति पहुंचाए जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री निर्भय सिंह पटेल, नेमीचंद जैन, रघुनंदन शर्मा, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम फतेहपुर में एक राजनैतिक कार्यकर्ता की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, राधेश्याम शर्मा, बच्चन नायक, सदस्य, भोपाल में मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय के एक छात्र की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, इंदौर पुलिस द्वारा जप्त ब्राउन शुगर के वास्तविक अपराधियों की गिरफ्तारी न हो पाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री कंकर मुंजारे, कुंवर विजय शाह, डॉ. विजय सिंह राजपूत, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम बछामा में पानी के अभाव में चार आदिवासियों की मौत होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम डिडौना में एक स्टापडेम ढहने से हुई क्षति की ओर पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री गौरीशंकर बिसेन, डॉ. रामलखन सिंह (भिण्ड), श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, ग्वालियर के मामा बाजार में एक स्कूल भवन की दीवार गिरने से चार लोगों की हुई मौत की घटना की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री कंकर मुंजारे, थावरचंद गेहलोत, बाबूलाल गौर, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम रुनावद निवासी तीन युवकों का डकैतों द्वारा अपहरण किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, श्री भंवर सिंह शेखावत, सदस्य, मंडला जिले के ग्राम तिलई पानी में दूषित पानी से बीमारी फैलने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री निर्भय सिंह पटेल, बच्चन नायक, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, जिलाध्यक्ष खण्डवा की अवैधानिक अनुमति से ग्राम भमौरी के सागौन वृक्षों की कटाई किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) डॉ. गौरी शंकर शेजवार, सदस्य, रायसेन जिले के सांची थानान्तर्गत अनुसूचित जाति की एक गर्भवती महिला के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य

श्री हरवंश सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री, दिनांक 23 मार्च, 1995 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्रमांक 2825) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

4. प्रतिवेदन पर चर्चा

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 पर चर्चा (क्रमशः).

निर्धारित समय

5. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. प्रदेश में हैजा, कॉलरा एवं पीलिया रोगों से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु होने के संबंध में सर्वश्री रामलखन शर्मा, बच्चन नायक, बनवारीलाल अग्रवाल, गोविन्द प्रसाद मिश्र, मुनीराम साहू तथा श्री रामलखन सिंह (त्योंथर), सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

6. अशासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. रमन सिंह, सदस्य, मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रुजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) संशोधन विधेयक, 1995 (क्रमांक 6 सन् 1995) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

7. अशासकीय संकल्प

1 घन्टा (1) सर्वश्री थावरचन्द गेहलोत, विजय शाह, बनवारीलाल अग्रवाल, रामविचार नेताम, कैलाश विजयवर्गीय, गौरीशंकर बिसेन, रघुनंदन शर्मा, जयंत कुमार मलैया तथा श्रीमती करुणा शुक्ला, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" यह सदन भारत शासन से अनुरोध करता है कि सम्पूर्ण भारत में शीघ्रातिशीघ्र समान नागरिक संहिता लागू की जाय".

15 मि. (2) श्री सुरेन्द्र वर्मा तथा श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" इस सदन का यह मत है कि प्रदेश में अवैधानिक रूप से पशुओं का मांस लाने वाले वाहनों को राजसात करने संबंधी कानून बनाया जाय".

30 मि. (3) श्री मांगीलाल भंडारी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" इस सदन का यह मत है कि प्रदेश के प्रत्येक पटवारी हल्के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जाये".

30 मि. (4) सर्वश्री नेमीचंद जैन, कैलाश कुण्डल तथा श्री गौरी शंकर बिसेन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" इस सदन का यह मत है कि प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों के लिये वृद्ध आश्रम की स्थापना की जाये".

15 मि. (5) श्री रामेश्वर अखण्ड, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" इस सदन का यह मत है कि उज्जैन से झालावाड़ (राजस्थान) व्हाया आगर होते हुए रेलवे लाइन बिछाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाये".

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 24 अगस्त, 1995